

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-93

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

कोयले की कमी का विद्युत उत्पादन पर असर

**\*93. श्री जॉन ब्रिटास:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले की कमी के कारण विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण इस वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन में हुई कमी का ब्यौरा क्या है;  
और

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान विभिन्न कंपनियों द्वारा विद्युत की दर में की जा रही वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

## विवरण

“कोयले की कमी का विद्युत उत्पादन पर असर” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 07.12.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 93 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) से (ग) : वर्ष 2020-21 में, विद्युत उत्पादन कोविड-19 महामारी के दौरान कम मांग के कारण प्रभावित हुआ था। वर्ष 2021-22 में, अप्रैल-अक्टूबर, 2021 के दौरान विद्युत उत्पादन में वास्तव में निम्नानुसार विगत दो वर्षों से अधिक वृद्धि हुई है:

अप्रैल-अक्टूबर/ वर्ष	सभी स्रोतों से विद्युत उत्पादन		कोयला आधारित विद्युत उत्पादन	
	बिलियन यूनिट (बीयू) में	विगत वर्ष से % वृद्धि में बढ़ोतरी	बीयू में	विगत वर्ष से % वृद्धि में बढ़ोतरी
2019-20	843.7	--	565.8	---
2020-21	796.6	(-) 5.6	511.9	(-) 9.5
2021-22	886.9	11.3	594.4	16.1

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत की बिक्री की भारत औसत दर वर्ष 2018-19 के दौरान 3.84 रुपये/केडब्ल्यूएच की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान 3.97 रुपये/केडब्ल्यूएच थी, इस प्रकार लगभग 3.4% की वृद्धि हुई।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-971

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

देश में विद्युत उत्पादन क्षमता

971. श्री राजेन्द्र गहलोत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मौजूदा विद्युत उत्पादन क्षमता और इसके स्रोतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेषकर राजस्थान राज्य सहित देश में उत्पादित विद्युत की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भावी कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : देश में मौजूदा विद्युत उत्पादन क्षमता के स्रोत-वार ब्यौरे अनुबंध-I पर दिए गए हैं।

(ख) : चालू वर्ष (अक्टूबर, 2021 तक) के दौरान विद्युत उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-II पर दिए गए हैं।

(ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वर्ष 2029-30 तक संस्थापित उत्पादन क्षमता का प्राक्कलन 817 गीगावाट किया है। स्रोत-वार ब्यौरे अनुबंध-III पर दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 971 के उत्तर के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

दिनांक 31.10.2021 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता (ईंधन-वार)

श्रेणी	संस्थापित उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	
जीवाश्म ईंधन	कोयला	2,02,415
	लिग्नाइट	6,620
	गैस	24,900
	डीजल	510
	कुल जीवाश्म ईंधन :	2,34,444
आरईएस (हाइड्रो सहित)	हाइड्रो	46,512
	पवन, सौर और अन्य आरई	
	पवन	39,990
	सौर	47,666
	बीएम विद्युत/कोजेन.	10,176
	कचरे से ऊर्जा	402
	लघु जल विद्युत	4,822
	कुल (पवन, सौर और अन्य आरई)	1,03,055
	न्यूक्लियर	6,780
	कुल गैर-जीवाश्म ईंधन:	1,56,347
	कुल संस्थापित क्षमता (जीवाश्म ईंधन और गैर-जीवाश्म ईंधन)	3,90,791

\*दिनांक 18.11.2021 की स्थिति के अनुसार आरईएस (हाइड्रो सहित) 150 गीगावाट पार कर गया है और यह 150.05 गीगावाट है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-II**

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 971 के उत्तर के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

चालू वर्ष 2020-21 (अक्तूबर, 2021 तक) के दौरान राज्य-वार (राजस्थान सहित) और स्रोत-वार विद्युत उत्पादन

राज्य	ईंधन श्रेणी	उत्पादन (एमयू)
		2021-22 (अक्तूबर, 21 तक)
चंडीगढ़	नवीकरणीय	9.32
<b>कुल चंडीगढ़</b>		<b>9.32</b>
दिल्ली	थर्मल	3144.44
	नवीकरणीय	260.28
<b>कुल दिल्ली</b>		<b>3404.72</b>
हरियाणा	थर्मल	12463.91
	नवीकरणीय	566.57
<b>कुल हरियाणा</b>		<b>13030.48</b>
हिमाचल प्रदेश	नवीकरणीय	30625.96
<b>कुल हिमाचल प्रदेश</b>		<b>30625.96</b>
जम्मू व कश्मीर	थर्मल	0
	नवीकरणीय	13573.94
<b>कुल जम्मू व कश्मीर</b>		<b>13573.94</b>
लद्दाख	नवीकरणीय	323.62
<b>कुल लद्दाख</b>		<b>323.62</b>
पंजाब	थर्मल	14486.88
	नवीकरणीय	4508.59
<b>कुल पंजाब</b>		<b>18995.47</b>
राजस्थान	थर्मल	26233.19
	नाभिकीय	4869.44
	नवीकरणीय	13512.79
<b>कुल राजस्थान</b>		<b>44615.42</b>
उत्तर प्रदेश	थर्मल	79273.77
	नाभिकीय	2000.09
	नवीकरणीय	3242.59
<b>कुल उत्तर प्रदेश</b>		<b>84516.45</b>
उत्तराखंड	थर्मल	1012.32
	नवीकरणीय	10529.37
<b>कुल उत्तराखंड</b>		<b>11541.69</b>
		<b>220637.07</b>
छत्तीसगढ़	थर्मल	81563.99
	नवीकरणीय	1430.54
<b>कुल छत्तीसगढ़</b>		<b>82994.53</b>
गोवा	थर्मल	0
	नवीकरणीय	0.74
<b>कुल गोवा</b>		<b>0.74</b>
गुजरात	थर्मल	35911.88

	नाभिकीय	1855.23
	नवीकरणीय	17014.92
<b>कुल गुजरात</b>		<b>54782.03</b>
मध्य प्रदेश	थर्मल	72417.8
	नवीकरणीय	8318.91
<b>कुल मध्य प्रदेश</b>		<b>80736.71</b>
महाराष्ट्र	थर्मल	70029.01
	नाभिकीय	5331.3
	नवीकरणीय	12546.87
<b>कुल महाराष्ट्र</b>		<b>87907.18</b>
दादर व नगर हवेली	नवीकरणीय	25.16
<b>कुल दादर व नगर हवेली</b>		<b>25.16</b>
दमन व दीव	नवीकरणीय	26.16
<b>कुल दमन व दीव</b>		<b>26.16</b>
		<b>306472.51</b>
आंध्र प्रदेश	थर्मल	32213.66
	नवीकरणीय	12451
<b>कुल आंध्र प्रदेश</b>		<b>44664.66</b>
कर्नाटक	थर्मल	15931.65
	नाभिकीय	4218
	नवीकरणीय	25420.5
<b>कुल कर्नाटक</b>		<b>45570.15</b>
केरल	थर्मल	0
	नवीकरणीय	6523.66
<b>कुल केरल</b>		<b>6523.66</b>
पुडुचेरी	थर्मल	149.53
	नवीकरणीय	7.14
<b>कुल पुडुचेरी</b>		<b>156.67</b>
तमिलनाडु	थर्मल	36766.12
	नाभिकीय	8049.39
	नवीकरणीय	20921.83
<b>कुल तमिलनाडु</b>		<b>65737.34</b>
तेलंगाना	थर्मल	30120.01
	नवीकरणीय	8770.32
<b>कुल तेलंगाना</b>		<b>38890.33</b>
लक्षद्वीप	नवीकरणीय	0.16
<b>कुल लक्षद्वीप</b>		<b>0.16</b>
		<b>201542.97</b>
अंडमान निकोबार	थर्मल	57.2
	नवीकरणीय	19.84
<b>कुल अंडमान निकोबार</b>		<b>77.04</b>
बिहार	थर्मल	23482.86
	नवीकरणीय	100.23
<b>कुल बिहार</b>		<b>23583.09</b>
झारखंड	थर्मल	16546.59
	नवीकरणीय	469.6
<b>कुल झारखंड</b>		<b>17016.19</b>
ओडिशा	थर्मल	34497.48
	नवीकरणीय	4316.73
<b>कुल ओडिशा</b>		<b>38814.21</b>

सिक्किम	नवीकरणीय	9354.43
कुल सिक्किम		<b>9354.43</b>
पश्चिम बंगाल	थर्मल	46722.62
	नवीकरणीय	3362.66
कुल पश्चिम बंगाल		<b>50085.28</b>
		<b>138930.24</b>
अरुणाचल प्रदेश	नवीकरणीय	3122
कुल अरुणाचल प्रदेश		<b>3122</b>
असम	थर्मल	4248.13
	नवीकरणीय	615.96
कुल असम		<b>4864.09</b>
मणिपुर	थर्मल	0
	नवीकरणीय	347.22
कुल मणिपुर		<b>347.22</b>
मेघालय	नवीकरणीय	686.01
कुल मेघालय		<b>686.01</b>
मिजोरम	नवीकरणीय	77.8
कुल मिजोरम		<b>77.8</b>
नागालैंड	नवीकरणीय	120.96
कुल नागालैंड		<b>120.96</b>
त्रिपुरा	थर्मल	3452.12
	नवीकरणीय	4.77
कुल त्रिपुरा		<b>3456.89</b>
		<b>12674.97</b>
भूटान (आईएमपी)	नवीकरणीय	6608.1
कुल भूटान (आईएमपी)	नवीकरणीय	<b>6608.1</b>
कुल आयात		<b>6608.1</b>
कुल जोड़	थर्मल	<b>886865.86</b>

टिप्पणी:

1. ईंधन स्रोतों (बड़ी जल विद्युत सहित थर्मल, न्यूक्लियर और नवीकरणीय) से कुल उत्पादन

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 971 के उत्तर के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**वर्ष 2029-30 के अंत तक संभावित संस्थापित क्षमता**

ईंधन का प्रकार	वर्ष 2029-30 में क्षमता (मेगावाट)
हाइड्रो*	60,977
पीएसपी	10,151
लघु हाइड्रो	5,000
कोयला + लिग्नाइट	2,66,911
गैस	25,080
न्यूक्लियर	18,980
सौर	2,80,155
पवन	1,40,000
बायोमास	10,000
<b>कुल</b>	<b>8,17,254</b>

\*5856 मेगावाट के हाइड्रो आयात सहित

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1109

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन

1109. श्री परिमल नथवानी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने मौजूदा विद्युत क्रय करार (पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) के अंतर्गत स्वयं अथवा मुक्त बोली के द्वारा डेवलपर्स के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करके उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने हेतु विद्युत उत्पादन कंपनियों को हाल ही में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह मौजूदा पीपीए के अंतर्गत जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा से प्रतिस्थापित करने में सक्षम होगा;
- (घ) क्या नवीकरणीय ऊर्जा को ताप विद्युत के साथ जोड़ने से प्राप्त होने वाले लाभ को उत्पादनकर्ता और वितरण कंपनियों/अन्य खरीददारों के बीच साझा किया जाएगा; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जी, हाँ, सरकार ने "नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण विद्युत के एकत्रीकरण के माध्यम से ताप/जल विद्युत स्टेशनों के उत्पादन तथा शेड्यूलिंग में लोचनीयता की संशोधित स्कीम" 15 नवम्बर, 2021 के पत्र द्वारा जारी की है। संशोधित स्कीम के अंतर्गत, कोयला/लिग्नाइट/गैस आधारित ताप विद्युत उत्पादन स्टेशन अथवा जल विद्युत स्टेशन वाली कोई भी उत्पादन कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) विद्युत संयंत्र स्थापित कर सकती है अथवा नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) विद्युत संयंत्र से जो या तो उसके परिसर में अथवा उनके क्षेत्र में किसी नए स्थान पर सह-अवस्थित है, नवीकरणीय ऊर्जा खरीद सकती है।

(ग) से (ङ) : यह स्कीम, जहां कहीं व्यवहार्य है, उत्पादन कंपनी के किसी उत्पादन स्टेशन की ताप/जल विद्युत को मौजूदा पीपीए के अंतर्गत आरई विद्युत प्रतिस्थापित करने का प्रावधान करती है। आरई विद्युत की लाभार्थियों को आपूर्ति उस टैरिफ पर की जाएगी जो विद्युत स्टेशन की ऊर्जा प्रभार दर (ईसीआर) से कम होगी जो प्रारंभ में शेड्यूल की गई थी। साथ ही, मौजूदा पीपीए के अंतर्गत ताप अथवा जल विद्युत के बदले आरई विद्युत की आपूर्ति से, सकल बचतों को, यदि कोई हैं, उत्पादन कंपनी द्वारा मासिक आधार पर लाभार्थियों को दिया जाएगा। सकल बचतों को उत्पादक को 7 पैसे/केडब्ल्यूएच की अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन 50:50 के अनुपात में उत्पादक और लाभार्थियों के बीच बांटा जाएगा।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1110

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है।

फास्ट ट्रेक विद्युत परियोजनाएं

1110. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आठ फास्ट ट्रेक विद्युत परियोजनाओं के संबंध में कितनी प्रगति हुई है और इन में से कितनी विद्युत परियोजनाओं ने देश में बिजली उत्पादन आरंभ कर दिया है;
- (ख) बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा संचालित विद्युत परियोजना और प्रभावी रूप से कार्य करने से संबंधित उनके विस्तृत पहलुओं का विशिष्ट ब्यौरा क्या है;
- (ग) उत्पादन की गई बिजली की मात्रा और शुल्क कितना-कितना है;
- (घ) क्या संबंधित राज्य सरकारों ने उक्त कंपनी से बिजली खरीदना आरंभ कर दिया है अथवा विद्युत क्रय करार में चूक के कारण राज्य सरकारें विद्युत कंपनी को जुर्माने का भुगतान कर रही हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में आठ फास्ट ट्रेक परियोजनाओं में से, पांच परियोजनाओं को आरंभ कर दिया गया है और विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया गया है। क्षमता और आरंभ करने की तारीखों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग) : पांच आरंभ परियोजनाएं (बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित) राज्यों की खरीद की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन कर रही हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान उत्पादित विद्युत की मात्रा और टैरिफ **अनुबंध-II** में दिए गए हैं

(घ) और (ङ) : जी हाँ, संबंधित राज्य सरकारें उपरोक्त उत्पादक कंपनियों से उनकी आवश्यकता के अनुसार विद्युत खरीद रही हैं। दाभोल पावर प्रोजेक्ट (अब रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड - आरजीपीपीएल) के मामले में, महाराष्ट्र राज्य विद्युत की खरीद नहीं कर रहा है और आरजीपीपीएल रेलवे को अप्रैल, 2017 से 500 मेगावाट विद्युत की बिक्री कर रही है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1110 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे					
क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	यूटिलिटी का नाम	क्षमता (मेगावाट): क्षमता अभिवृद्धि की तारीख	कुल क्षमता (मेगावाट)
1	गोदावरी सीसीपीपी	आंध्र प्रदेश	स्पेक्ट्रम पावर जेनरेशन	जीटी-1 (47 मेगावाट): 21.06.1997 जीटी-2 (47 मेगावाट): 09.01.1997 जीटी-3: (47 मेगावाट): 17.02.1997 एसटी (67 मेगावाट): 31.03.1998	208
2	जेगुरुपाडु सीसीपीपी फेज-1	आंध्र प्रदेश	ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन	जीटी-1: (52.8 मेगावाट): 04.07.1996 जीटी-2: (52.8 मेगावाट): 26.10.1996 जीटी-3: (52.8 मेगावाट): 11.12.1996 एसटी (77 मेगावाट): 01.04.1998	235.4
3	नेवेली टीपीएस (जेड)	तमिलनाडु	एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी	यू-1 (250 मेगावाट): 11.10.2002	250
4	विजाग टीपीपी	आंध्र प्रदेश	हिंदुजा नेशनल पावर कारपोरेशन	यू-1 (520 मेगावाट): 27.12.2015 यू-2 (520 मेगावाट): 30.03.2016	1040
5	दाभोल	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र दाभोल पावर कंपनी	ब्लॉक 1: 12.11.1998 ब्लॉक 2: 07.05.2006 ब्लॉक 3: 28.10.2007	1967
6	आईबी वैली	ओडिशा	एईएस ट्रांसपावर	चालू नहीं की गई	420
7	भद्रावती	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र इस्पात	चालू नहीं की गई	1072
8	मंगलौर	कर्नाटक	मंगलौर थर्मल पावर	चालू नहीं की गई	1000

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-II**

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1110 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा							
क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	यूटिलिटी का नाम	उत्पादित विद्युत बीयू (2018-19)	टैरिफ (₹./केडब्ल्यूएच) (2018-19)	उत्पादित विद्युत बीयू (2019-20)	टैरिफ (₹./केडब्ल्यूएच) (2019-20)
1	गोदावरी सीसीपीपी	आंध्र प्रदेश	स्पेक्ट्रम पावर जेनरेशन	1142.85	331.9	566.9	331
2	जेगुरुपाडु सीसीपीपी फेज-I	आंध्र प्रदेश	ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन	826.31	उपलब्ध नहीं*	656.16	उपलब्ध नहीं*
3	नेवेली टीपीएस (जेड)	तमिलनाडु	एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी	1290.36	504	1437.55	524
4	विजाग टीपीपी	आंध्र प्रदेश	हिंदुजा नेशनल पावर कारपोरेशन	949.1	382	2961.32	382
5	दाभोल	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र दाभोल पावर कंपनी	4465.63	550	4263.63	550

\* आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई परियोजनाएं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1111

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी

1111. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष से कई राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की भारी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या जरूरतमंद राज्यों को अधिक बिजली उपलब्ध कराने के लिए कोई नई विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्थापित की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर नई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को स्थापित करने के कार्य की शुरुआत की गई थी और तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : देश में सभी उपभोक्ताओं की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 391 गीगावाट है जो अब तक हुई लगभग 200 गीगावाट की अधिकतम व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। पिछले वर्ष अर्थात वर्ष 2020-21 और वर्तमान वर्ष अर्थात वर्ष 2021-22 (अक्टूबर, 2021 तक) के दौरान वास्तविक अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का विवरण, जैसा कि सीईए के पास उपलब्ध है, **अनुबंध-I** में दिया गया है। पिछले वर्ष अर्थात वर्ष 2020-21 और वर्तमान वर्ष 2021-22 (अप्रैल, 2021 से अक्टूबर, 2021 की अवधि तक) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

राज्य के भीतर सभी क्षेत्रों (ग्रामीण क्षेत्रों सहित) में विद्युत की खरीद, आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी द्वारा किया जाता है जो राज्य में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करता है।

(ख) : देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई विद्युत उत्पादन परियोजनाएं संस्थापित की गई हैं। पिछले पांच (5) वर्षों अर्थात वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक और वर्तमान वर्ष अर्थात वर्ष 2021-22 (अप्रैल से अक्टूबर, 2021 की अवधि) के दौरान आरंभ की गई परंपरागत विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता के सार का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ग) : पिछले पांच (5) वर्षों के दौरान शुरू की गई परंपरागत विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1111 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

पिछले वर्षों अर्थात वर्ष 2020-21 और वर्तमान वर्ष अर्थात वर्ष 2021-22 (अक्टूबर, 2021 तक) के दौरान वास्तविक अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा

वर्ष	ऊर्जा [मिलियन यूनिट (एमयू) में]	
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा
	(एमयू)	(एमयू)
2020-21	1,275,534	1,270,663
2021-22 (अक्टूबर, 2021 तक)*	821,705	817,816

(\*)-अनंतिम

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1111 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

पिछले वर्ष अर्थात 2020-21 और वर्तमान वर्ष 2021-22 (अप्रैल, 2021 से अक्टूबर, 2021 की अवधि) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (ऊर्जा) (अप्रैल, 2021 से अक्टूबर, 2021 की अवधि)							
	अप्रैल, 2021 - अक्टूबर, 2021 (अंतिम)				अप्रैल, 2020 - मार्च, 2021			
	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (एमयू)	( % )	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (एमयू)	( % )
चंडीगढ़	1,080	1,080	0	0.0	1,523	1,523	0	0.0
दिल्ली	20,814	20,809	4	0.0	29,560	29,555	4	0.0
हरियाणा	36,304	36,150	153	0.4	53,161	53,108	53	0.1
हिमाचल प्रदेश	7,017	7,004	13	0.2	10,186	10,130	56	0.5
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	11,077	10,241	836	7.5	19,773	17,222	2,551	12.9
पंजाब	43,493	43,196	297	0.7	58,445	58,377	67	0.1
राजस्थान	50,693	50,327	365	0.7	85,311	85,205	106	0.1
उत्तर प्रदेश	82,469	81,395	1,075	1.3	1,24,367	1,23,383	984	0.8
उत्तराखंड	9,093	9,031	62	0.7	13,827	13,818	8	0.1
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>2,62,039</b>	<b>2,59,233</b>	<b>2,806</b>	<b>1.1</b>	<b>3,96,151</b>	<b>3,92,323</b>	<b>3,829</b>	<b>1.0</b>
छत्तीसगढ़	19,041	19,010	31	0.2	30,472	30,449	22	0.1
गुजरात	72,148	71,911	237	0.3	1,11,622	1,11,622	0	0.0
मध्य प्रदेश	45,175	45,128	46	0.1	83,437	83,437	0	0.0
महाराष्ट्र	98,475	98,475	0	0.0	1,50,679	1,50,663	16	0.0
दमन और दीव	1,499	1,499	0	0.0	2,223	2,223	0	0.0
दादर नगर हवेली	3,963	3,963	1	0.0	5,497	5,497	0	0.0
गोवा	2,604	2,592	13	0.5	4,083	4,083	0	0.0
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>2,42,905</b>	<b>2,42,578</b>	<b>327</b>	<b>0.1</b>	<b>3,88,013</b>	<b>3,87,975</b>	<b>38</b>	<b>0.0</b>
आंध्र प्रदेश	40,647	40,600	47	0.1	62,080	62,076	4	0.0
तेलंगाना	40,204	40,195	9	0.0	66,998	66,994	4	0.0
कर्नाटक	40,344	40,331	13	0.0	68,851	68,831	19	0.0
केरल	15,032	15,025	7	0.0	25,118	25,102	16	0.1
तमिलनाडु	66,009	66,002	8	0.0	1,01,194	1,01,189	5	0.0
पुदुचेरी	1,779	1,779	0	0.0	2,644	2,644	0	0.0
लक्षद्वीप #	32	32	0	0.0	56	56	0	0.0
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>2,04,015</b>	<b>2,03,932</b>	<b>83</b>	<b>0.0</b>	<b>3,26,885</b>	<b>3,26,836</b>	<b>48</b>	<b>0.0</b>
बिहार	23,758	23,425	333	1.4	34,171	34,018	153	0.4
डीवीसी	13,695	13,671	24	0.2	21,368	21,368	0	0.0
झारखंड	6,429	6,198	231	3.6	9,953	9,675	278	2.8
उड़ीसा	22,665	22,665	1	0.0	29,848	29,848	0	0.0
पश्चिम बंगाल	34,682	34,642	40	0.1	51,644	51,543	100	0.2
सिक्किम	323	323	0	0.0	546	546	0	0.0
अंडमान-निकोबार #	196	188	8	3.9	346	323	23	6.7
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>1,01,553</b>	<b>1,00,924</b>	<b>629</b>	<b>0.6</b>	<b>1,47,530</b>	<b>1,46,999</b>	<b>531</b>	<b>0.4</b>
अरुणाचल प्रदेश	493	493	1	0.1	719	714	5	0.7
असम	7,067	7,045	22	0.3	10,192	9,815	377	3.7
मणिपुर	548	547	2	0.3	974	969	5	0.5
मेघालय	1,211	1,197	14	1.1	2,031	2,005	26	1.3
मिजोरम	363	358	5	1.3	728	723	4	0.6
नागालैंड	512	511	1	0.1	826	822	4	0.5
त्रिपुरा *	998	997	0	0.0	1,484	1,481	3	0.2
पूर्वोत्तर क्षेत्र	11,192	11,149	43	0.4	16,955	16,531	424	2.5
अखिल भारत	8,21,705	8,17,816	3,889	0.5	12,75,534	12,70,663	4,871	0.4

# लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्टैंड-अलोन सिस्टम हैं, इनमें से विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

\*बंगलादेश को आपूर्ति शामिल नहीं है।

टिप्पणी: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है।

एमयू के आंकड़ों को निकटतम इकाई स्थान पर पूर्णांकित किया गया है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1111 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

पिछले पांच (5) वर्षों अर्थात वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 और वर्तमान वर्ष अर्थात वर्ष 2021-22 (अप्रैल, 2021 से अक्टूबर, 2021 की अवधि) के दौरान आरंभ की गई परंपरागत विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता के सार का ब्यौरा

(आंकड़े मेगावाट में)

वर्ष	थर्मल	हाइड्रो	न्यूक्लियर	कुल
2016-17	11550.75	1659.00	1000.00	14209.75
2017-18	8710.00	795.00	0	9505.00
2018-19	5781.76	140.00	0	5921.76
2019-20	6765.00	300.00	0	7065.00
2020-21	4926.15	510.00	0	5436.15
2021-22 (अप्रैल, 2021 से अक्टूबर, 2021)	2120.00	213.00	0	2333.00

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-IV**

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1111 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

पिछले पांच (5) वर्षों के दौरान शुरू की गई परंपरागत विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा

**ताप विद्युत उत्पादन परियोजनाएं**

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	परियोजना शुरू करने/एलओए की तारीख	क्षमता (मेगावाट)
1	पतरातु एसटीपीपी	झारखंड	मार्च, 2018	2400
2	राउरकेला पीपी-II एक्सपेंशन	ओडिशा	मई, 2016	250
3	घाटमपुर टीपीपी	उत्तर प्रदेश	अगस्त, 2016	1980
4	खुर्जा एससीटीपीपी	उत्तर प्रदेश	अगस्त, 2019	1320
5	बक्सर टीपीपी	बिहार	जून, 2019	1320
6	जवाहरपुर एसटीपीपी	उत्तर प्रदेश	दिसंबर, 2016	1320
7	ओबरा-सी एसटीपीपी	उत्तर प्रदेश	दिसंबर, 2016	1320
8	पनकी टीपीएस एक्सटेंशन-I	उत्तर प्रदेश	मार्च, 2018	660
9	उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज-I	तमिलनाडु	दिसंबर, 2017	1320
10	यादाद्री टीपीएस	तेलंगाना	अक्टूबर, 2017	4000
11	भुसावल टीपीएस	महाराष्ट्र	जनवरी, 2018	660
12	सागरदिघी थर्मल पावर प्लांट फेज-III	पश्चिम बंगाल	दिसंबर, 2018	660
<b>कुल</b>				<b>17210</b>

**जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक)**

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	परियोजना शुरू करने/एलओए की तारीख	क्षमता (मेगावाट)
1	नैटवर मोरी (एसजेवीएनएल)	उत्तराखंड	05.12.2017	60
2	पकलदुल (सीवीपीपीएल)	जम्मू और कश्मीर	21.02.2018	1000
3	कुंडाह पंप स्टोरेज फेज-I, II और III)	तमिलनाडु	15.02.2018	500
4	कुटेहर (जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड)	हिमाचल प्रदेश	20.10.2019	240
5	किरू (सीवीपीपीएल)	जम्मू और कश्मीर	24.02.2020	624
6	लोअर कोपली (एपीजीसीएल)	असम	21.08.2020	120
7	लुहरी-I (एसजेवीएनएल)	हिमाचल प्रदेश	22.12.2020	210
8	धौलासिद्ध (एसजेवीएनएल)	हिमाचल प्रदेश	06.05.2021	66
<b>कुल</b>				<b>2820</b>

उपर्युक्त थर्मल और हाइड्रो परियोजनाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित न्यूक्लियर परियोजनाएं भी निर्माणाधीन हैं:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1	पीएफबीआर न्यू यूनिट 1	तमिलनाडु	500
2	काकरपारा ए.पी.एस. यूनिट 3-4	गुजरात	1400
3	राजस्थान यूनिट 7-8	राजस्थान	1400
4	कुडनकुलम यूनिट 3-4	तमिलनाडु	2000
5	गोरखपुर यूनिट 1-2	हरियाणा	1400
6	कुडनकुलम यूनिट 5-6	तमिलनाडु	2000
<b>कुल</b>			<b>8700</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1112

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी के ताप विद्युत केन्द्र की स्थिति

1112. श्री प्रशांत नन्दा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की ओडिशा के तालचेर में एनटीपीसी के केन्द्र को बंद करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) एनटीपीसी के उक्त ताप विद्युत केन्द्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : एनटीपीसी के तलचेर में (ओडिशा का आंगुल जिला) दो ताप विद्युत संयंत्र हैं। तलचेर कनीहा (3000 मेगावाट) सेवारत है और इस संयंत्र को बंद करने की कोई योजना नहीं है।

54 वर्ष से अधिक पुराने तलचेर ताप विद्युत स्टेशन (460 मेगावाट) को प्रचालन की सुरक्षा, दक्षता और पर्यावरणीय सरोकारों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31.03.2021 से बंद कर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद (आईडी) अधिनियम, 1947 के तहत दिनांक 20.08.2021 से इसके समापन का अनुमोदन कर दिया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1113

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएनजीईडीसीओ) हेतु वित्तीय सहायता

1113. श्री पी. विल्सन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या तमिलनाडु सरकार ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन से वित्तीय सहायता की मांग की है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;
- (ख) वैश्विक महामारी की चपेट में आए तमिलनाडु में विद्युत क्षेत्रों हेतु और क्षेत्र में बड़ी संख्या में निजी कंपनियों की व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार के पास देश, विशेष रूप से तमिलनाडु में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए कोई योजना है;
- (घ) कलपक्कम विद्युत संयंत्र और कुडनकुलम विद्युत संयंत्र से परमाणु विद्युत ऊर्जा का अधिक उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और आरईसी लिमिटेड (पहले रूरल इलेक्ट्रिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) व्यक्तिगत प्रस्तावों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टेनजेडको) सहित, यूटिलिटियों को ऋण स्वीकृत करते हैं। 30 नवंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, पीएफसी और आरईसी की लेखाबहियों में टैनजेडको पर बकाया ऋणों का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख) : कोविड से उत्पन्न लिक्विडिटी के मुद्दों से निपटने के लिए, भारत सरकार ने सुधार लिंकेजों के साथ लिक्विडिटी निषेचन स्कीम (एलआईएस) की घोषणा की थी। इस स्कीम के तहत, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू), उत्पादन कंपनियों (जेनकोस) और पारेषण कंपनियों (ट्रांसकोज) के साथ-साथ स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपीएस) और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादकों के बकाया देय राशियों को चुकाने के लिए दिनांक 30.11.2021 तक की स्थिति के अनुसार पीएफसी और आरईसी द्वारा टैनजेडको को अब तक 26,428 करोड़ रुपये के विशेष दीर्घकालिक रूपांतरण ऋण संवितरित किए गए हैं। एलआईएस के अंतर्गत अधिदेशित सुधार शर्तों का विवरण **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न हैं

(ग) : देश के, विशेष रूप से तमिलनाडु में, उपलब्ध संसाधनों का दोहन करने के लिए सरकारी योजनाओं का विवरण **अनुबंध-III** के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) : सरकार ने कुडनकुलम विद्युत संयंत्र की मौजूदा क्षमता को 2000 मेगावाट से बढ़ाकर 6000 मेगावाट करने का निर्णय लिया है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1113 के उत्तर के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

दिनांक 30 नवम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार पीएफसी और आरईसी की लेखाबहियों में टैनजेडको पर बकाया ऋण दर्शाने वाला विवरण:

बकाया ऋण (टैनजेडको में दिनांक 30.11.2021 की स्थिति के अनुसार)	
पीएफसी (करोड़ में)	आरईसी (करोड़ में)
34,936.64 रुपये	36,970 रुपये

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1113 के उत्तर के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

एलआईएस के अंतर्गत टैनजेडको को अधिदेशित सुधार शर्तों का विवरण:

- डिस्कॉम को प्रत्येक तिमाही में राज्य सरकार द्वारा वर्तमान सब्सिडी का अग्रिम भुगतान। डिस्कॉम अग्रिम दी गई सब्सिडी के उपयोग और राज्य सरकार से उपलब्ध या प्राप्त होने वाली शेष सब्सिडी के त्रैमासिक लेखा प्रस्तुत करेगा।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 तक राज्य सरकार के विभागों, कंपनियों, निकायों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं आदि में स्मार्ट प्रीपेड या प्रीपेड मीटरों की स्थापना।
- राज्य के बजट में पर्याप्त प्रावधान और राज्य सरकार के विभागों, कंपनियों, निकायों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं आदि की वर्तमान बिजली देय राशियों का समय पर भुगतान करना।
- राज्य सरकार द्वारा प्रति यूनिट और/अथवा किलोवाट के आधार पर श्रेणीवार घोषणा। वित्तीय वर्ष 2024 तक टैरिफ पूरी तरह से लागत प्रतिबिंबित और बिना किसी सब्सिडी के होगी।
- राज्य सरकार द्वारा टैनजेडको के वित्तीय वर्ष 21-22 में वित्तीय वर्ष 20-21 के वित्तीय घाटे का कम से कम 50% और वित्तीय वर्ष 22-23 से घाटे का 100% अपने ऊपर लेना।
- राज्य सरकार द्वारा 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार उदय के तहत 8373 करोड़ रुपये की सीमा तक सरकारी विभाग के बिजली के बिलों और हानि के वित्तपोषण के लिए देय राशियों का निषेचन।
- वित्तीय वर्ष 2024 तक ओपेक्स मॉडल पर वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग के लिए चरणवार कार्य योजना।
- विनियामक द्वारा दिनांक 15.02.2022 तक अद्यतित/संशोधित टैरिफ जारी करना।
- उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल के डिजिटल भुगतान और स्व-मूल्यांकन को सक्षम करना।
- एटीएंडसी हानियों को वित्तीय वर्ष 21-22, वित्तीय वर्ष 22-23 और वित्तीय वर्ष 23-24 के अंत में घटाकर क्रमशः 12%, 10% और 8% करना।
- एसीएस-एआरआर अंतर को घटाकर वित्तीय वर्ष 21-22, वित्तीय वर्ष 22-23 और वित्तीय वर्ष 23-24 के अंत में घटाकर क्रमशः 0.51 रुपये प्रति किलोवाट प्रति घंटा, 0.25 रुपये प्रति किलोवाट प्रति घंटा और 0 रुपये प्रति किलोवाट प्रति घंटा करना।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1113 के उत्तर के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

तमिलनाडु राज्य सहित देश में उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के दोहन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण:-

- स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति,
- 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क में छूट,
- दो वर्षों के लिए अर्थात् दिनांक 30-06-2023 तक जीटीएम और ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीटीएम) में सौर, पवन, पम्पड स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) से उत्पादित/आपूर्ति की गई बिजली के व्यापार के लिए अनुमत पारेषण प्रभारों की छूट,
- नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए हरित ऊर्जा गलियारा योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता का निर्माण,
- वर्ष 2022 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के लिए ट्रेजेक्टरी की घोषणा,
- आरई विकासकर्ताओं को प्लग एंड प्ले के आधार पर भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना,
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सोलर रूफटॉप फेज-II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू स्कीम फेज-II आदि जैसी स्कीमें,
- सोलर फोटोवोल्टिक प्रणाली/उपकरणों की तैनाती के लिए मानकों की अधिसूचना,
- निवेश को आकर्षित करने और सुगम बनाने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना,
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी और पवन परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश।
- सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा आरई उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए साख पत्र (एलसी) या अग्रिम भुगतान के निमित्त ही विद्युत प्रेषित की जाएगी।
- देश में पावर एक्सचेंज के माध्यम से आरई विद्युत की खरीद को सुकर बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम) शुरू किया गया।
- आरई परियोजनाओं की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव के लिए कुशल जनशक्ति का एक पूल बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करना।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1114

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

विद्युत शुल्क संरचना में एकरूपता

1114. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश भर में विद्युत शुल्क संरचना में एकरूपता की नीति की समीक्षा कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समीक्षा को कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम 2003 और टैरिफ नीति के प्रावधानों के अनुसार समुचित आयोग द्वारा प्रशुल्क निर्धारण किया जाता है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(3) में प्रावधान है कि समुचित आयोग द्वारा, इस अधिनियम के तहत प्रशुल्क का निर्धारण करते समय, विद्युत के किसी भी उपभोक्ता को अनुचित प्राथमिकता नहीं दी जाएगी लेकिन उपभोक्ता के भार कारक, विद्युत कारक, वोल्टेज, किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान विद्युत की कुल खपत या जिस समय आपूर्ति की आवश्यकता होती है या किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति और जिस उद्देश्य के लिए आपूर्ति की आवश्यकता के अनुसार अंतर कर सकता है। तदनुसार, राज्य आयोगों द्वारा खुदरा प्रशुल्क निर्धारित किए जाते हैं।

सरकार विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रही है। दिन के एक विशिष्ट समय ब्लॉक के लिए विद्युत एक्सचेंजों पर एकसमान प्रशुल्क की खोज की जाती है। तदनुसार, इसके लिए, विद्युत एक्सचेंजों से वितरण यूटिलिटीयों द्वारा खरीदी गई विद्युत के लिए, बाजार विभाजन के मामले को छोड़कर, विद्युत की कीमत एक समान रहती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1115

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

अधूरे पड़े कोयला आधारित विद्युत संयंत्र

1115. डा. विकास महात्मे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने कोयला आधारित विद्युत संयंत्र अधूरे पड़े हुए हैं और उनकी अवस्थिति क्या है; और

(ख) सरकार इन विद्युत संयंत्रों को कब तक पूरा करने का विचार रखती है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : वर्तमान में, देश में 52 कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं	राज्य	परियोजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	बिहार	4
3.	छत्तीसगढ़	6
4.	झारखंड	6
5.	महाराष्ट्र	6
6.	मध्य प्रदेश	1
7.	उड़ीसा	5
8.	राजस्थान	2
9.	तेलंगाना	3
10.	तमिलनाडु	7
11.	उत्तर प्रदेश	6
12.	पश्चिम बंगाल	2

चूंकि विद्युत उत्पादन एक लाइसेंस रहित गतिविधि है, संबंधित कंपनी निवेश योजना और समापन कार्यक्रम तय करती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1116  
जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है।

बिजली की कमी

1116. श्री देरेक ओब्राईन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश बिजली की कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ऐसी कमी, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए क्या उपाय कर रही है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : सभी उपभोक्ताओं की विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 391 गीगावाट है जो अब तक टैंडर की गई लगभग 200 गीगावाट की उच्चतम व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। पिछले वर्ष अर्थात् 2020-21 और वर्तमान वर्ष अर्थात् 2021-22 (अक्टूबर, 2021 तक) के दौरान वास्तविक अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का विवरण, जैसा कि सीईए के पास उपलब्ध है, अनुबंध में दिया गया है। देश में मांग को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से, वर्ष 2024-25 तक शुरू होने वाली विद्युत उत्पादन क्षमता देश में निर्माण के विभिन्न चरणों में है, जिसमें थर्मल से 36,765 मेगावाट, न्यूक्लियर से 4,800 मेगावाट और नवीकरणीय ऊर्जा (हाइड्रो सहित) से 63.74 मेगावाट शामिल है।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1116 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

पिछले वर्ष अर्थात् 2020-21 और वर्तमान वर्ष अर्थात् 2021-22 (अक्तूबर, 2021 तक) के दौरान वास्तविक अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का विवरण:

वर्ष	ऊर्जा [मिलियन इकाई में (एमयू)]	
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा की आपूर्ति
	(एमयू)	(एमयू)
2020-21	1,275,534	1,270,663
2021-22 (अक्तूबर 2021 तक)*	821,705	817,816

(\*)-अनंतिम

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1117

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

वर्ष 2014 से अब तक मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई योजनाएं

1117. श्री दीपक प्रकाश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2014 से अब तक मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई सभी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या सरकार ने लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 से अब तक शुरू की गई प्रमुख स्कीमों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

1. एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस): विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में विद्युत उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए दिनांक 3 दिसंबर, 2014 को 'एकीकृत विद्युत विकास स्कीम' (आईपीडीएस) अधिसूचित की। स्कीम का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क, वितरण ट्रांसफॉर्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं का मीटरीकरण, उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी), शेष शहरी नगरों को आईटी सक्षम बनाना, रियल टाइम - डाटा एक्विजिशन सिस्टम (आरटी-डीएस) परियोजनाएं आदि का सुदृढीकरण करना है। स्कीम की समाप्ति की समय-सीमा मार्च, 2022 है।

दिनांक 25.11.2021 की स्थिति के अनुसार, आईपीडीएस के अंतर्गत 30,904 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं स्वीकृति की गई हैं। अब तक, भारत सरकार द्वारा आईपीडीएस के अंतर्गत राज्यों/डिस्कॉमों को 16,478 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया जा चुका है। 524 परिमंडलों में वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। आईपीडीएस प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना के अंतर्गत प्रमुख कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

मदें (यूनिट)	लक्ष्य	उपलब्धि
नए विद्युत सब-स्टेशन (सं.)	999	979
एचटी लाइनें (सीकेएम)	24,262	23,304
एलटी लाइनें (सीकेएम)	10,769	10,378
एबी केबल (सीकेएम)	65,029	62,218
यूजी केबल (सीकेएम)	21,551	20,086
रूफ टॉप सोलर पैनल्स (केडब्ल्यूपी)	46,544	45,641

**2. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई):** देशभर में विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में डीडीयूजीजेवाई शुरू की गई थी। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव दिनांक 1 मई, 2018 की निर्धारित समय-सीमा से काफी पहले दिनांक 28 अप्रैल, 2018 को विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। स्कीम की समापन तिथि 31.03.2022 है। देश में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत सृजित विद्युत अवसंरचना (अतिरिक्त अवसंरचना सहित) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(दिनांक 31.10.2021 तक की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	मदें	यूनिटें	डीडीयूजीजेवाई	डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त अवसंरचना	कुल (डीडीयूजीजेवाई/ अतिरिक्त अवसंरचना)
1	सब-स्टेशन (संवर्धन सहित)	संख्या	3,980	227	4,207
2	वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	3,91,024	2,17,816	6,08,840
3	फीडर पृथक्करण	सीकेएम	1,22,123	0	1,22,123
4	11 केवी लाइनें	सीकेएम	1,15,996	66,272	1,82,268
5	एलटी लाइनें	सीकेएम	2,88,339	1,93,606	4,81,945
6	33 केवी और 66 केवी लाइनें	सीकेएम	22,669	20	22,689
7	उपभोक्ता विद्युत मीटर	संख्या	1,51,97,187	-	1,51,97,187
8	वितरण ट्रांसफार्मर मीटर	संख्या	2,59,472	-	2,59,472
9	11 केवी फीडर मीटर	संख्या	13,502	-	13,502

**3. प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - (सौभाग्य):** सौभाग्य स्कीम को देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए घरों का सार्वभौमिक विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में शुरू किया गया था। सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत, दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, सभी राज्यों ने दिनांक 31.03.2019 से पूर्व चिह्नित, सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों के 100% विद्युतीकरण की सूचना दी है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से, दिनांक 31.03.2021 तक, 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

**4. उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय):** उदय राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की प्रचालनात्मक एवं वित्तीय दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से नवंबर, 2015 में विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय कायापलट के लिए शुरू की गई। स्कीम के दो परिणामी पैरामीटर हैं। राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटीयों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लक्षित परिणामी पैरामीटर और उपलब्धि निम्नानुसार है:

पैरामीटर	लक्ष्य	उपलब्धियां
सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियां	15%	एटी एंड सी हानियां वित्तीय वर्ष 16 में 23.70% से घटकर वित्तीय वर्ष 20 में 20.93% हो गईं और
औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) - औसत राजस्व वसूली (एआरआर) अंतर	मार्च, 2019 तक शून्य	वित्त वर्ष 16 में एसीएस-एआरआर अंतर को 0.48 रुपये प्रति किलोवाट घंटा से घटाकर वित्त वर्ष 20 में 0.30 रुपये प्रति किलोवाट घंटा कर दिया गया।

**5. संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस):** आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने अपनी दिनांक 30.06.2021 को आयोजित बैठक में, 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय और वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि में भारत सरकार से 97,631 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम - एक सुधार आधारित - और परिणाम-संबद्ध स्कीम का अनुमोदन किया। स्कीम का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक एटी एंड सी हानियों को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर तक कम करना है।

और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य करना है। स्कीम के दिशा-निर्देश माह जुलाई, 2021 में जारी किए गए हैं।

**6. छः(6) राज्यों (असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड) के लिए 'पूर्वोत्तर विद्युत क्षेत्र प्रणाली सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी), 5111.33 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अंतःराज्यीय पारेषण एवं वितरण प्रणालियों (33 केवी और अधिक) के सुदृढीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2014 में अनुमोदित की गई थी जिसका अनुमानित पूर्णता समय दिसंबर, 2018 था। तदनंतर, लागत को संशोधित कर 6700 करोड़ रुपये और संशोधित पूर्णता समय दिसंबर, 2021 कर दिया गया। स्कीम का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया गया है जिसमें परियोजना लागत का 50% विश्व बैंक से ऋण द्वारा वित्तपोषित है। परियोजना का कार्यान्वयन पावरग्रिड द्वारा किया जा रहा है।**

444 स्वीकृत पारेषण घटकों में से अक्टूबर, 2021 तक 312 घटक पूरे किए जा चुके हैं। विद्युत मंत्रालय ने स्कीम के अंतर्गत अक्टूबर, 2021 तक संचयी रूप से 3361.33 करोड़ रुपये जारी किए हैं। स्कीम को उत्तरोत्तर दिसंबर, 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

दिनांक 31.10.2021 की स्थिति के अनुसार समग्र प्रगति का निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

**वास्तविक प्रगति : 68%**

**वित्तीय प्रगति : 63.7% (मूल अनुमोदित लागत के संबंध में); संशोधित लागत अनुमान के संदर्भ में 48.6%।**

**7. अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पारेषण तथा वितरण प्रणालियों के सुदृढीकरण हेतु व्यापक स्कीम 4754.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 2014 में अनुमोदित की गई थी जिसका अनुमानित पूर्णता समय दिसंबर, 2018 था। तदनंतर लागत को संशोधित कर 9129.32 करोड़ रुपये और पूर्णता समय अवाई किए जा चुके कार्यक्षेत्र (204 घटकों) के लिए दिसंबर, 2021 और अवाई नहीं किए गए पैकेजों (88 घटकों) के लिए मार्च, 2024 था। यह परियोजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। परियोजना पावरग्रिड द्वारा कार्यान्वित की गई है।**

292 स्वीकृत घटकों (204 अवाई किए गए और 88 बाद में अवाई किए गए, दोनों) में से 64 घटकों को अक्टूबर, 2021 तक पूरा कर लिया गया है। संचयी रूप से, विद्युत मंत्रालय ने अक्टूबर, 2021 तक पावरग्रिड को 2964.24 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

दिनांक 31.10.2021 की स्थिति के अनुसार समग्र प्रगति निम्नानुसार है:

**वास्तविक प्रगति : 44%**

**वित्तीय प्रगति : 59.6% (मूल अनुमोदित लागत के संबंध में); संशोधित लागत अनुमान के संबंध में 31%।**

**8. नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी):** विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 11.09.2017 के आदेश द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों (अर्थात् दिल्ली में एनएलडीसी), दक्षिणी क्षेत्र (तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, एसएलडीसी और एसआरएलडीसी), पश्चिमी क्षेत्र (गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एसएलडीसी और डब्ल्यूआरएलडीसी), उत्तरी क्षेत्र (राजस्थान, एसएलडीसी और एनआरएलडीसी) में 11 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी) की स्थापना का अनुमोदन किया था। इन सभी अनुमोदित आरईएमसीज़ की स्थापना कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने दिनांक 16.12.2019 के आदेश द्वारा तेलंगाना में एक आरईएमसी तथा दक्षिणी अंडमान में एक ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (ईएमसी) की स्थापना का भी अनुमोदन किया था। दक्षिणी अंडमान में ईएमसी जुलाई, 2021 में आरंभ की गई थी। तेलंगाना में आरईएमसी को दिसंबर, 2021 तक आरंभ किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

**9. उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फोर ऑल (उजाला):** माननीय प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी, 2015 को वहनीय मूल्य पर तापदीप्त बल्बों को बदलकर एलईडी बल्ब लगाने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए उजाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ईईएसएल का उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फोर ऑल (उजाला) विश्व का सबसे बड़ा लाइटिंग प्रतिस्थापन कार्यक्रम है। अभी तक, संपूर्ण भारत में ईईएसएल द्वारा 36.78 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब, 71 लाख एलईडी ट्यूबलाइटें और 23 लाख ऊर्जा दक्ष पंखे वितरित किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, 9570 मेगावाट व्यस्ततम मांग की बचत के साथ 47.07 बिलियन केडब्ल्यूएच प्रतिवर्ष की अनुमानित ऊर्जा बचत हुई है और प्रतिवर्ष 39 मिलियन टन CO<sub>2</sub> के जीएचजी उत्सर्जन में कमी आई है।

**10. स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी):** माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 5 जनवरी, 2015 को परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट तथा ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से प्रतिस्थापित करने के लिए एसएलएनपी कार्यक्रम को शुभारंभ किया। अब तक संपूर्ण भारत में ईईएसएल द्वारा 1.2 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइटें संस्थापित की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप, 1,374 मेगावाट की व्यस्ततम मांग की बचत के साथ प्रतिवर्ष 8.24 बिलियन केडब्ल्यूएच की ऊर्जा बचत हुई है और प्रतिवर्ष 5.68 मिलियन टन CO<sub>2</sub> के जीएचजी उत्सर्जन में कमी आई है।

**11. ग्राम उजाला:** ग्राम उजाला कार्यक्रम दिनांक 19 मार्च, 2021 को शुरू किया गया था, जिसमें पुराने प्रकार के बल्बों को दक्ष एलईडी बल्बों से प्रतिस्थापित किया जाता है जो कम बिजली की 88% खपत करते हैं। अब तक, सीईएसएल ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत 33 लाख एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, प्रतिवर्ष 467 मिलियन केडब्ल्यूएच की अनुमानित ऊर्जा बचत हुई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1118

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है।

एकीकृत विद्युत विकास योजना

1118. श्री इरण्ण कडाडि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और देश में इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;
- (ख) उक्त योजना के अंतर्गत कुल कितना बजटीय आवंटन किया गया है और कितनी निधि जारी की गई है, कर्नाटक सहित तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य-क्षेत्र ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) नुकसान को कम करने और योजना के उद्देश्यों के अधीन उल्लिखित चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) उक्त योजना के अंतर्गत कर्नाटक के विभिन्न शहरों में पूर्ण किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित घटकों के साथ "एकीकृत विद्युत विकास स्कीम" (आईपीडीएस) का शुभारंभ किया था:

- I. शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण।
- II. शहरी क्षेत्रों में फीडरों/वितरण ट्रांसफार्मरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।
- III. वितरण क्षेत्र की आईटी सक्षमता और सम्मिलित घटक के रूप में आर-एपीडीआरपी (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम) के तहत किए जा रहे वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण।

आईपीडीएस में कुल 32,612 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय है, जिसमें आर-एपीडीआरपी के सम्मिलित घटक के तहत 22,727 करोड़ रुपये के बजटीय सहयोग सहित, 44,011 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ-साथ नई परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से 25,354 करोड़ रुपये का बजटीय सहयोग शामिल है। 33

राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 547 सर्किलों में 30904 करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है और 16478 करोड़ रुपये की राशि संवितरित कर दी गई है। आईपीडीएस के तहत कर्नाटक राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संस्वीकृति और संवितरण का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ग) : आईपीडीएस के तहत, शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों का सुदृढीकरण करने और सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम करने हेतु वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग के लिए केंद्रीय वित्तपोषण प्रदान किया जा रहा है। आईपीडीएस के तहत भूमिगत (यूजी) केबलिंग और एरियल बंडल (एबी) केबलों के लिए निधियां भी संस्वीकृत की गई हैं।

उपर्युक्त उपायों की निरंतरता में, विद्युत मंत्रालय ने 3,03,758 करोड़ रुपए के परिव्यय और केंद्रीय सरकार से 97,631 करोड़ रुपए के अनुमानित सकल बजटीय सहयोग के साथ "संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम - एक सुधार आधारित तथा परिणाम संबद्ध स्कीम" भी अधिसूचित की है। इस स्कीम का उद्देश्य आपूर्ति अवसंरचना का सुदृढीकरण करने और प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटर की संस्थापना करने के लिए डिस्कॉमों को सुधार से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करके निजी डिस्कॉमों को छोड़कर सभी डिस्कॉम/विद्युत विभागों की प्रचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है।

(घ) : राज्य डिस्कॉमों द्वारा आईपीडीएस पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार, कर्नाटक में पूर्ण किए गए कार्यों का ब्यौरा **अनुबंध-II** पर दिया है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-1**

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2021 को उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1118 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**आईपीडीएस (30-11-2021 की स्थिति के अनुसार) के अंतर्गत संस्वीकृत और संवितरण परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण**

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल		
		परियोजना लागत	भारत सरकार से अनुदान	संवितरण
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	31	19	10
2	आंध्र प्रदेश	879	529	501
3	अरुणाचल प्रदेश	159	136	92
4	असम	742	631	509
5	बिहार	3125	1881	1427
6	छत्तीसगढ़	619	373	284
7	दिल्ली	198	119	90
8	गोवा	84	51	44
9	गुजरात	1067	642	650
10	हरियाणा	447	269	182
11	हिमाचल प्रदेश	190	162	125
12	जम्मू एवं कश्मीर	452	384	318
13	झारखंड	768	462	367
14	कर्नाटक	1358	818	717
15	केरल	659	397	379
16	लद्दाख	20	17	15
17	महाराष्ट्र	2551	1536	1299
18	मणिपुर	138	117	96
19	मेघालय	108	92	55
20	मिजोरम	111	95	74
21	मध्य प्रदेश	1674	1008	914
22	नागालैंड	138	117	95
23	ओडिशा	1153	694	590
24	पुदुचेरी	22	13	9
25	पंजाब	457	275	236
26	राजस्थान	1550	933	782
27	सिक्किम	161	137	92
28	तमिलनाडु	1745	1051	1010
29	तेलंगाना	753	453	446
30	त्रिपुरा	221	188	134
31	उत्तर प्रदेश	5539	3335	2887
32	उत्तराखंड	725	617	477
33	पश्चिम बंगाल	3059	1841	1573
	<b>कुल</b>	<b>30904</b>	<b>19391</b>	<b>16478</b>

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2021 को उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1118 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**कर्नाटक में आईपीडीएस के अंतर्गत डिस्कॉम-वार अवसंरचना का निर्माण**

मद/बीओक्यू		बेस्कॉम	सेस्कॉम	जेस्कॉम	हेस्कॉम	मेस्कॉम	
	यूनिट	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	कुल उपलब्धि
नए सब-स्टेशनों की संख्या	संख्या			3	4		7
33/11 केवी अतिरिक्त एक्सआर/ क्षमता वृद्धि	संख्या			2			2
नए डीटी की संस्थापना की संख्या	संख्या	1100	572	989	514	724	3,899
डीटी की संख्या क्षमता में वृद्धि	संख्या	38	384	30	264	124	840
एचटी लाइन	सीकेएम	425	248	525	384	341	1,923
एलटी लाइन	सीकेएम	1350	960	862	1413	1498	6,083
एबी/यूजी केबल	केएम	1531	362	862	247	366	3,368
उपभोक्ता मीटर	संख्या	16566	114883		197051	288289	6,16,789

(स्रोत: पीएफसी)

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1119

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय पावर ग्रिड और उसके विस्तार की स्थिति

1119. श्री प्रकाश जावड़ेकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 में राष्ट्रीय पावर ग्रिड की स्थिति क्या थी;

(ख) विगत सात वर्षों में परिवर्धन का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विस्तार से कितना लाभ प्राप्त हुआ है; और

(घ) आगामी तीन वर्षों के लिए विस्तार की योजनाएं क्या हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रिड, जिसमें 220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज की अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय पारेषण प्रणालियां शामिल हैं, की स्थिति निम्नानुसार थी:

- 2,91,336 सीकेएम पारेषण लाइनें
- 5,30,546 एमवीए रूपांतरण क्षमता
- 35,950 मेगावाट की अंतर-क्षेत्रीय क्षमता

(ख) : पिछले 7 वर्षों के दौरान पारेषण क्षमता अभिवृद्धि निम्नानुसार है:

	पिछले 7 वर्षों के दौरान क्षमता अभिवृद्धि	01.04.2014 की स्थिति के अनुसार, क्षमता की तुलना में % अभिवृद्धि
पारेषण लाइन (सीकेएम)	1,59,216	54.65
रूपांतरण क्षमता (एमवीए)	5,40,960	101.96
अंतर-क्षेत्रीय क्षमता (मे.वा.)	76,300	212.24

परिणामस्वरूप, दिनांक 31 अक्टूबर 2021 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रिड की स्थिति नीचे दी गई है:

- पारेषण लाइन (सीकेएम): 4,50,552
- रूपांतरण क्षमता (एमवीए): 10,71,506
- अंतर-क्षेत्रीय क्षमता (मेगावाट): 1,12,250

आज, यह देश विश्व के सबसे बड़े सिंक्रोनस ग्रिडों में से एक है और हमने वन नेशन-वन ग्रिड-वन फ्रीक्वेंसी प्राप्त कर ली है।

**(ग) :** उपर्युक्त पारेषण नेटवर्क विस्तार से विद्युत अधिशेष क्षेत्रों से विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत के निर्बाध अंतरण करना सुकर प्राप्त हुआ है और इस प्रकार बिना किसी पारेषण बाधाओं के उत्पादन संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ-साथ अंतिम उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करने में मदद मिली है। इसने नवीकरणीय ऊर्जा आधारित क्षमता की वृद्धि को भी सहयोग दिया है।

**(घ) :** अगले 3 वर्षों में, प्रति वर्ष लगभग 17,500 सीकेएम पारेषण लाइनों और प्रति वर्ष 80,000 एमवीए रूपांतरण क्षमता की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1120

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है।

बाजार और पर्यावरण पर एलईडी बल्बों का प्रभाव

1120. श्री प्रकाश जावडेकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 और वर्तमान में एलईडी बल्बों की कीमत कितनी-कितनी है;

(ख) सरकार की उजाला योजना के अंतर्गत कितने बल्ब वितरित किए गए हैं;

(ग) निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में कितने बल्बों का क्रय किया गया है; और

(घ) इस पहल के पर्यावरणीय लाभ क्या हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : उन्नत ज्योति बाय अफॉर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उजाला) कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, वर्ष 2014 में प्रति 7 वाट बल्ब 340/-रुपये की दर से एलईडी बल्ब बेचे गए थे। ईईएसएल द्वारा बेचे जा रहे एलईडी बल्बों का वर्तमान मूल्य प्रति 9 वाट बल्ब 70/- रुपये है। वर्तमान खुदरा बाजार मूल्य प्रति 9 वाट बल्ब 80/- रुपये से 100/-रुपये है।

(ख) : आज की स्थिति के अनुसार, उजाला स्कीम के अंतर्गत 36.78 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं।

(ग) : सरकारी और निजी क्षेत्र में खरीदे गए बल्बों की संख्या का ब्यौरा ईईएसएल द्वारा संकलित नहीं किया गया है। तथापि, 'इलेक्ट्रिक लैंप एंड कम्पोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसियेशन (ईएलसीओएमए) के अनुसार, निजी क्षेत्र द्वारा उपभोक्ताओं को 160 करोड़ से अधिक एलईडी बल्बों की बिक्री की जा चुकी है।

(घ) : ईईएसएल द्वारा 36.78 करोड़ एलईडी बल्बों के वितरण के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष कार्बन डाई आक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 38.69 मिलियन टन की कमी हुई है।

\*\*\*\*\*